न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	13.09.2019	17.03.2023

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री केसर सिंह विक्रेता / प्रबंधक मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास देवली रोड टोंक जिला टोंक निवासी गुलजार बाग सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक

2–श्री केसर सिंह पुत्र श्री सावल सिंह प्रोपरायटर मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास देवली रोड टोंक जिला टोंक निवासी गुलजार बाग सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक

3–मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास देवली रोड टोंक जिला टोंक

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 17.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2019 को समय 04:42 पी.एम पर मैसर्स लोकेश ट्रेडिंग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण कार्यवाही करने हेतु पहुँचा। वहाँ पर इसी समय श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री केसर सिंह उक्त फर्म के व्यवहारी व खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य पदार्थ **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** का विक्रय करने हेतु आये हुए थे, जिन्हे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गुरदीप सिंह ने स्वयं को मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास देवली रोड टोंक जिला टोंक का विक्रेता / प्रबंधक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि श्री गुरदीप सिंह के पास अपने वाहन में 250–250 ग्राम के 50 नग पॉली पैक **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** जिसके बैच नं. डी–2 व पैंकिंग की दिनांक जनवरी 19 थी, रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री गुरदीप सिंह को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 8 नग कुल 2 किलोग्राम खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बे में 250–250 ग्राम के 2 पैकेट रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई– 2192 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2192 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1385 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1223/एक्ट/2019/600 दिनांक 29.05.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के उल्लंघन के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय केसर गोल्ड पॉली पैक (Tea Kesar Gold Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक